न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 2021/144

1. सत्यनारायण पुत्र श्री तुलसीराम जाति कुम्हार निवासी सेन्ट्रल बैंक के पास चेचट तहीसल रामगंजमण्डी जिला कोटा ।
2. रमेश पुत्र प्रभूलाल जाति कुम्हार निवासी पुराने अस्पताल के पास रामगंजमण्डी जिला कोटा ।
3. धीरेन्द्र पुत्र बालमुकुन्द जाति कुम्हार निवासी संगत लेबोरेट्री रामगंजमण्डी जिला कोटा ।

——अपीलान्ट

बनाम

1. लक्ष्मीनारायण आत्मज श्री औंकार लाल जाति कुम्हार निवासी सरकारी अस्पताल के आगे कुम्हारों का मोहल्ला चेचट तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा ।
2. रामगोपाल पुत्र औंकार लाल जाति कुम्हार (मृतक) जरिये कायममुकाम :–
   2/1. राजेन्द्र पुत्र मृतक
   2/1/1 आशीष आयु 36 वर्ष पुत्र
   2/1/2. अभिषेक आयु 34 वर्ष
   2/1/3 मनीष आयु 28 वर्ष पिसरान राजेन्द्र जाति कुम्हार निवासी सेन्ट्रल बैंक के पास चेचट तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा ।
   2/2. अशोक उम्र 54 वर्ष पुत्र रामगोपाल जाति कुम्हार ।
   2/3. सरोजी आयु 45 वर्ष पुत्री रामगोपाल जाति कुम्हार ।
   2/4. बदामी बाई उम्र 75 वर्ष बेवा स्व0 रामगोपाल कुम्हार निवासीगण सेन्ट्रल बैंक के पास चेचट तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा ।
3. रामचन्द्र पुत्र स्व0 तुलसीराम जाति कुम्हार निवासी सेन्ट्रल बैंक के पास चेचट तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा ।
4. ओमप्रकाश पुत्र स्व0 श्री किशनलाल जाति कुम्हार निवासी शांति होटल खैराबाद रोड, रामगंजमण्डी जिला कोटा ।
5. कमलेश पुत्र स्व0 चौथमल जाति कुम्हार निवासी प्रतापपुरा चेचट तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा ।
6. सुरेश पुत्र प्रभूलाल जाति कुम्हार निवासी पुराने अस्पताल के पास तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा ।
7. दिनेश पुत्र प्रभूलाल जाति कुम्हार निवासी गोरधन नाथ जी के मंदिर के पास रामगंजमण्डी जिला कोटा ।
8. अशोक पुत्र स्व0 बालमुकुन्द जाति कुम्हार निवासी संगम लेबोरट्री रामगंजमण्डी जिला कोटा ।
9. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार रामगंजमण्डी जिला कोटा ।

———रेस्पोडन्ट

उपस्थित :– 1. श्री दयाराम सैन, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।
2. श्री रामप्रसाद नागर, अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट कम 1, 3, 4 व 7 की ओर से ।

निर्णय दिनांक: 30.12.2022

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, रामगंजमण्डी जिला कोटा द्वारा पारित निर्णय 15.03.2021 के विरूद्ध पेश की गई हैं ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि प्रार्थी रेस्पोडेन्ट कम 01 ने परीक्षण न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 88, 89 एवं 188 के अन्तर्गत वाद प्रस्तुत किया। उक्त वाद के साथ प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर कथन किया कि प्रार्थी एवं अप्रार्थी कम 1 लगायत 11 के संयुक्त खाते एवं कब्जे काश्त की आराजी पुराना खसरा नम्बर 653 की रकबा 16 बीघा भूमि तथा खसरा नम्बर 897 की रकबा 2.59 हैक्टर वाके ग्राम खेडली तहसील रामगंजमण्डी में स्थित है । उक्त भूमि पर प्रार्थी एवं अप्रार्थी कम 1 लगायत 11 बहैसियत सहखातेदार काबिज होकर निरन्तर काश्त करते चले आ रहे हैं । उक्त आराजी के पूरब दिशा में सडक खेडली रोड पश्चिम दिशा में रामकरण माली का खेत उत्तर दिशा में रामकुंवार माली पुत्र प्रहलाद जी का खेत तथा दक्षिण दिशा में रामकुंवार अहीर पुत्र देवलाल का खेत स्थित है । प्रार्थी के संयुक्त आराजी के खसरा नम्बर 653 का बाद सेटलमेंट नया खसरा नम्बर 897 दर्ज किया गया जिस पर प्रार्थी एवं अप्रार्थी कम 1 लगायत 11 काबिज होकर निरन्तर काश्त करते चले आ रहे हैं । उक्त भूमि प्रार्थी एवं अप्रार्थी कम 1 लगायत 11 के पिता एवं दादा श्री ओंकार लाल के खाते दर्ज रही है तथा उनकी मृत्यु के बाद उक्त आराजी पर प्रार्थी एवं अप्रार्थी कम 1 लगायत 11 काबिज काश्त है । प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण कम 1 लगायत 11 द्वारा श्री ओंकार लाल जी के जीवनकाल में ही आपसी सहमति से उक्त आराजी का बंटवारा कर लिया उसी अनुसार पक्षकारान अपने–अपने हिस्से की आराजी पर काबिज काश्त हैं । खसरा नम्बर 897 राजस्व रिकॉर्ड में बडा नम्बर दर्ज है जिसका अप्रार्थी कम 9 लगायत 11 द्वारा प्रार्थी की अनभिज्ञता का फायदा उठाकर गुप–चुप तरीके से उक्त खसरा नम्बर 897 का प्रार्थी की बिना जानकारी के विभाजन करवाकर इंतकाल संख्या 80/821 दिनांक 04.05.2006 से पृथक–पृथक खसरा नम्बरान का खातेदारान दर्ज करवा लिया गया जिसमें अप्रार्थी कम 9 लगायत 11 द्वारा प्रार्थी के पूर्व विभाजन के हिस्से एवं कब्जे काश्त की आराजी खसरा नम्बर 945/897 को अपने नाम दर्ज करवा लिया है तथा खसरा नम्बर 944/897 को प्रार्थी के नाम इन्द्राज दर्ज करवा दिया गया जबकि उक्त स्थान पर अप्रार्थी कम 9 लगायत 11 का कब्जा वर्तमान में है जिसे प्रार्थी निरस्त कराने व शुद्धीकरण कराने के अधिकारी हैं । अप्रार्थी कम 9 लगायत 11 द्वारा इंतकाल नम्बर 80/821 दिनांक 04.05.2006 को गुपचुप तरीके से विभाजन कराने से उक्त आराजी पर मौके की वास्तविक स्थिति बदलकर विपरीत हो गयी है जिससे प्राथी के हितों पर कुठाराघात होने का खतरा उत्पन्न हो गया है ।

अप्रार्थी कम 9 लगायत 11 द्वारा राजस्व अभिलेख में पृथक–पृथक खसरा नम्बरों पर खातेदार दर्ज कराने से मौके पर रिकॉर्ड की विपरीतज स्थिति हो गई है तथा अप्रार्थी कम 9 लगायत 11 उक्त इन्द्राज का नाजायज फायदा उठाकर अवैधानिक तरीके से प्रार्थी के हिस्से व कब्जे काश्त की आराजी को हडप करने के आशय से धोखाधडी कर उक्त आराजी को बेचान करने पर आमादा हैं । प्रार्थी के लिए आवश्यक हो गया है कि वह अपने हक में अप्रार्थीगण के विरूद्ध अस्थायी निषेधाज्ञा जारी करावें ।

3. अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थी के पक्ष में अप्रार्थीगण के विरूद्ध इस आशय की अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की जावे कि ताफैसला वाद अप्रार्थीगण वादग्रस्त आराजी को किसी भी अन्य व्यक्ति को विक्रय, दान, रहन अथवा किसी प्रकार का हस्तान्तरण नहीं करें और वादग्रस्त आराजी में किसी भी प्रकार की मदाखलत व मजाहमत नहीं करें । उक्त कृत्य न तो स्वयं अप्रार्थीगण करें और न ही अपने किसी प्रतिनिधि से करावें ।

4. अप्रार्थी कम 1, 2, 5 व 9 ने इकबालिया जवाब प्रस्तुत किया ।

5. अप्रार्थीगण कम 3, 4, 6, 7, 8, 10 व 11 के द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर प्रार्थी के प्रार्थना पत्र में कहे गये कथनों को अस्वीकार करते हुए प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र खारिज करने का कथन किया ।

6. अधीनस्थ न्यायालय ने अपने आदेश दिनांक 15.03.2021 के द्वारा प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंशतः स्वीकार कर अप्रार्थीगण को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द करने का आदेश पारित किया ।

7. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 15.03.2021 से व्यथित होकर प्रार्थीगण कम 3, 6 व 9 अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य पर गौर नहीं किया कि जो भी पारिवारिक बंटवारे का राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद होता है उसमें सभी पक्षकारान की सहमति ली जाती है तथा उक्त सहमति पत्रों के आधार पर तहसील से विभाजन स्वीकार करने के बाद ही राजस्व रिकॉर्ड में अमलदरामद होता है तथा सभी पक्षकारान से सहमति पत्र लेकर राजस्व रिकॉर्ड में अमलदरामद हुआ है । वादी स्वयं अपने वाद में खसरा नम्बर 945/897 पर प्रतिवादी कम 09 लगायत 11 का कब्जा मानकर आया है । इस प्रकार उक्त आराजी पर कभी भी वादी का कब्जा नहीं रहा है और न ही आज है । इस कारण बिना प्रतिवादी को उक्त आराजी से बेदखली की रिलीफ प्राप्त किये उक्त वाद मेन्टेनेबल नहीं है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय त्रुटिपूर्ण है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 15.03.2021 निरस्त फरमाया जावे।

8. अपीलान्ट ने अपील के साथ प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 मियाद अधिनियम का प्रस्तुत कर कथन किया कि अपीलान्ट को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय की कोई जानकारी नहीं

थी । वकील साहब के द्वारा भेजी गई सूचना भी अपीलान्ट को नहीं मिली माह अप्रेल में लॉकडाउन लग गया तथा आना–जाना बन्द रहा । अपीलान्ट कम 02 अपने वकील साहब से मिलने दिनांक 04.08.2021 को गया तो उन्होंने उक्त अपीलाधीन निर्णय की जानकारी दी जिस पर उसी दिन नकल प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया और दिनांक 10.08.2021 को नकल प्राप्त होते ही यह अपील न्यायालय हाजा में पेश की गई है । अतः जानकारी के अभाव में अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किया जावे ।

9. रेस्पोडेन्ट कम 01 ने धारा 05 मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र पर अपना जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 15.03.2021 की नकल लेने के लिए अपीलान्ट की ओर से करीब 4 1/2 माह बाद आवेदन कर दिनांक 10.08.2021 को नकल लेने के बाद दिनांक 19.08.2021 को अपील पेश की गई है जो स्पष्ट रूप से अवधि बाधित है । इस सम्बन्ध में अपीलान्ट की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में केवल सामान्य कथन कि कोरोना लॉक डाउन में वकील साहब की उपस्थिति में पारित निर्णय की उसे जानकारी नहीं मिली है विश्वसनीय नहीं है । अतः अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील अवधि बाधित होने से खारिज फरमाई जावे ।

10. अपील अपीलान्ट सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गईं । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । उभयपक्ष के विद्वान् अभिभाषकगण की बहस सुनी गई ।

11. प्रार्थीगण अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में प्रार्थना पत्र आदेश 41 नियम 27 सीपीसी का प्रस्तुत कर कथन किया कि प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न दस्तावेजात को रिकॉर्ड पर लिया जाना आवश्यक है । उक्त दस्तावेज वादग्रस्त आराजी से सम्बन्धित हैं तथा राजस्व रिकॉर्ड की प्रमाणित प्रतियॉं हैं जिनकी विश्वसनीयता पर संदेह नहीं किया जा सकता । अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न दस्तावेजात को रिकॉर्ड पर लिया जावे ।

12. अप्रार्थी रेस्पोडेन्ट कम 01 ने जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर कथन किया कि अपीलान्ट की ओर से अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुतशुदा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित की हुई विभाजन डिक्री की पालना में राजस्व रिकॉर्ड में किये हुए इन्द्राज के आधार पर ग्राम खेडली के नामान्तरकरण संख्या 80/821 तथा राजस्व जमाबन्दी वादग्रस्त भूमि की जमाबन्दी संख्या 2004 से 2024 की नकल प्रस्तुत की जाने की प्रार्थना की गई है । उक्त दस्तावेजात अपील प्रस्तुत होने से पूर्व से ही वादी रेस्पोडेन्ट की ओर से पत्रावली में प्रस्तुत होने से उक्त प्रार्थना पत्र कानूनन मेन्टेनेबल नहीं है । अतः अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 27 सीपीसी खारिज फरमाया जावे ।

13. हमने अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 41 नियम 27 सीपीसी का अवलोकन किया एवं उभयपक्ष के विद्वान् अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया । अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न दस्तावेजात में नकल नामान्तरकरण रजिस्टर संख्या 821 दिनांक 04.05.2006 की प्रमाणित प्रति एवं नकल जमाबन्दी संवत् 2004 से 2024 की प्रमाणित प्रति संलग्न हैं । उक्त दस्तावेज राजकीय दस्तावेज हैं जिनकी विश्वसनीयता पर किसी प्रकार का संदेह नहीं किया जा सकता । अतः न्यायहित में अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 41 नियम 27 सीपीसी

स्वीकार कर प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न दस्तावेजात को रिकॉर्ड पर लिये जाने की अनुमति प्रदान की जाती है ।

14. अपीलान्ट के विद्वान् अभिभाषक ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य पर गौर नहीं किया कि जो भी पारिवारिक बंटवारे का राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद होता है उसमें सभी पक्षकारान की सहमति ली जाती है तथा उक्त सहमति पत्रों के आधार पर तहसील से विभाजन स्वीकार करने के बाद ही राजस्व रिकॉर्ड में अमलदरामद होता है तथा सभी पक्षकारान से सहमति पत्र लेकर राजस्व रिकॉर्ड में अमलदरामद हुआ है । वादी स्वयं अपने वाद में खसरा नम्बर 945/897 पर प्रतिवादी कम 09 लगायत 11 का कब्जा मानकर आया है । इस प्रकार उक्त आराजी पर कभी भी वादी का कब्जा नहीं रहा है और न ही आज है । इस कारण बिना प्रतिवादी को उक्त आराजी से बेदखली की रिलीफ प्राप्त किये उक्त वाद मेन्टेनेबल नहीं है । वर्तमान में प्रतिवादी अपीलान्ट के खेत के सहारे नया रोड बनने से वादी के दिल में बदयान्ति आ गई है और उसने अपने वाद में गलत कथन करते हुए यह दावा व प्रार्थना पत्र धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का पेश किया है । राजस्व रिकॉर्ड के सम्बन्ध में सभी पक्षकारान की सहमति से दिनांक 04.05.2006 को नामान्तरकरण तस्दीक र राजस्व रिकॉर्ड में अमलदरामद हुआ है यदि उसमें किसी प्रकार की त्रुटि होती हो वादी को समय पर एतराज करना चाहिए था तथा कब्जा सम्बन्धी एतराज पेश करना चाहिए लेकिन उस वक्त वादी द्वारा उसे अच्दी भूमि मिलने से उसने कोई एतराज नहीं किया न ही कोई अपील पेश की आज लम्बे समय बाद उक्त वाद के मार्फत एतराज कर दुरूस्ती का वाद लाने से वादी स्टोप्ड है । उक्त वाद में लैण्ड होल्डर को धारा 80 जाप्ता दीवानी का प्रार्थना पत्र पेश नहीं किया गया है न ही पृथक से प्रार्थना पत्र पेश किया गया है इसं कारण उक्त वाद एवं प्रार्थना पत्र मेन्टेनेबल नहीं है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय त्रुटिपूर्ण है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 15.03.2021 निरस्त फरमाया जावे ।

15. रेस्पोडेन्ट के विद्वान् अभिभाषक ने अपनी बहस में कथन किया कि पक्षकारान के पिता औंकार लाल जी द्वारा अपने खाते की सम्पूर्ण आराजी का अपने जीवनकाल में आज से 40 वर्ष पूर्व बंटवारा कर दिया था तथा उनके वारिसान अपने हिस्से पर काबिज हो गये थे और आज भी काबिज काश्त हैं । उक्त बंटवारे का राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद हो चुका है तथा समस्त पक्षकारान का अपने–अपने हिस्से पर कब्जा है तथा पृथक खाता लगान कायम है तथा पृथक–पृथक रूप से नक्शा बना हुआ है । प्रार्थी रेस्पोडेन्ट कम 01 अपने हिस्से की आराजी पर काबिज है जिसका अंकन राजस्व रिकॉर्ड व नक्शा ट्रेस में अंकन है । खसरा नम्बर 897 राजस्व रिकॉर्ड में बडा नम्बर दर्ज है प्रार्थी रेस्पोडेन्ट की अनभिज्ञता का फायदा उठाकर गुप–चुप तरीके से उक्त खसरा नम्बर 897 का प्रार्थी रेस्पोडेन्ट की बिना जानकारी के विभाजन करवाकर इंतकाल संख्या 80/821 दिनांक 04.05.2006 से पृथक–पृथक खसरा नम्बरान का खातेदारान दर्ज करवा लिया गया जिसमें अप्रार्थी कम 9 लगायत 11 द्वारा प्रार्थी के पूर्व विभाजन के हिस्से एवं कब्जे काश्त की आराजी खसरा नम्बर 945/897 को अपने नाम दर्ज करवा लिया है तथा खसरा नम्बर 944/897 को प्रार्थी के नाम इन्द्राज दर्ज करवा दिया गया जबकि उक्त स्थान पर अप्रार्थी कम 9 लगायत 11 का कब्जा वर्तमान में है जिसे प्रार्थी निरस्त कराने के अधिकारी हैं । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय विधि सम्मत है । प्रथमदृष्टया प्रकरण, सुविधा का संतुलन

एवं अपूरणीय क्षति प्रार्थी रेस्पोडेन्ट के पक्ष में है । अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 15.03.2021 बहाल रखा जावे ।

16. हमने पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया एवं उभयपक्ष के विद्वान् अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया । हमने सर्वप्रथम अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का अवलोकन किया । अपीलान्ट ने अपने प्रार्थना पत्र में विलम्ब के जो कारण बताऐ हैं वे उचित प्रतीत होते हैं । अतः न्यायहित में अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किया जाता है ।

17. प्रस्तुत प्रकरण में खसरा नम्बर 897 के सम्बन्ध में अधीनस्थ न्यायालय ने विवेचन के पश्चात् प्रथमदृष्टया प्रकरण प्रार्थी रेस्पोडेन्ट कम 01 के पक्ष में प्रतीत होना पाया है । हम अधीनस्थ न्यायालय की इस आब्जर्वेशन से सहमत हैं कि नक्शे की विसंगति के आधार पर पक्षकार को असुविधा नहीं होनी चाहिए । नक्शे में कोई त्रुटि हुई अथवा नहीं ? यह अंतिम रूप से साक्ष्य आदि के आधार पर वाद में तय होगा । अपीलान्ट ने अपने अपील मीमो के पैरा संख्या 06 में वाद का मेन्टेनेबल नहीं होना अंकित किया है । इसी तरह बिन्दु संख्या 7 व 8 में जो बिन्दु उठाए हैं उनके सम्बन्ध में अधीनस्थ न्यायालय ने स्पष्ट विवेचन किया है कि प्रकरण में वादग्रस्त भूमि को सुरक्षित तथा संरक्षित बनाए रखने तथा पक्षकारों के विधिक स्वत्व की रक्षार्थ प्रार्थना पत्र प्रार्थी अंशतः स्वीकार किया जाता है । अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट के सभी हक, स्वत्व व अधिकारों का विनिश्चय मूल वाद में गुणावगुण के आधार पर विधि अनुसार होना है । अधीनस्थ न्यायालय ने तीनों बिन्दुओं प्रथमदृटया प्रकरण, सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति के बिन्दुओं पर स्पष्ट विवेचन एवं विश्लेषण कर निर्णय पारित किया है । हमने अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय का अवलोकन किया । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय विधि सम्मत प्रतीत होता है जिसमें हम किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं समझते हैं ।

18. अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक15.03.2021 बहाल रखा जाता है ।

19. निर्णय आज दिनांक 30.12.2022 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(मनोज कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा